कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश (देहरादून)

30 अप्रैल, 2025 ई0

पत्रांक 341/निर्माण/2025–26–नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश जनपद देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–298(2) लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश के निर्माण कार्यो के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनायी गयी थी, चूँकि शासन शासनादेश के अनुसार नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश का उच्चीकरण होकर नगर निगम ऋषिकेश हो गया, इसी क्रम में उक्त उपविधि में निम्नानुसार संशोधन किये गये है।

<u>ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि में संशोधन निम्न प्रकार है।</u>

1– परिभाषाएं:–

(1) यह उपविधि नगर निगम ऋषिकेश जनपदः– देहरादून के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2025 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) निकाय– निकाय का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश से है।

(3) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश के निर्वाचित महापौर/पार्षदों अथवा से है।

(4) अधिनियम– अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(5) महापौर– महापौर का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश के मेयर/प्रशासक से है।

(6) नगर आयुक्त– नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर आयुक्त, नगर निगम से है।

(7) पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) ठेकेदार– ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो नगर निगम ऋषिकेश में समस्त निर्माण कार्य, पुर्ननिर्माण, सामग्री, आपूर्ति एवं अन्य कार्य, जो संविदा के अन्तर्गत आते है को करने के इच्छुक व्यक्ति हो।

(9) श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से है।

2– पंजीकरण की प्रकिया–

नगर निगम के समस्त निर्माण कार्य (सडक/नाली/नाला पुस्ता/अन्य आदि) एवं भवन निर्माण कार्यो के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की चार श्रेणियां होगी इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में निम्न शर्तो/औपचारिकाताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता हैः–

(1) यह भारत का नागरिक हो तथा नगर निगम सीमान्तर्गत या जनपद देहरादून में कम से कम 05 वर्षो से निवास करता हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र दो पासपोर्ट फोटो सहित देनी होगी।

(2) उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो)

(3) उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स– तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख
द– चतुर्थ श्रेणी के लिए	1.00 लाख

(4) प्रथम श्रेणी में– पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्/नगर निगम, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 1.00 करोड व सडक/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक अभियन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होंने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (वाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा।)

(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 15.00 लाख के अनुबन्ध (वाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा।)

(7) चतुर्थ श्रेणी में– पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(8) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3– जमानत–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत–पत्र (एन0एस0सी0) अथवा किसान विकास पत्र में लेखाधिकारी के पदनाम से बन्ध कर आवेदन–पत्र के साथ देनी होगी।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	रू0 1,00,000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	रू0 50,000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	रू0 30,000.00
द– चतुर्थ श्रेणी के लिए	रू0 10,000.00

4– पंजीकरण शुल्क

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगर रूप में नगर निगम ऋषिकेश कोष में जमा करनी होगी।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	रू0 25,000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	रू0 20,000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	रू0 15,000.00
द– चतुर्थ श्रेणी के लिए	रू0 10,000.00

5– पंजीकरण की अवधि

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से मई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किए जायेंगे, पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप रू0 1000.00 नगर निगम कोष में जमा कर कय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6– नवीनीकरण की प्रक्रिया–

ठेकेदार को प्रत्येक 02 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा:–

(1) नवीनीकरण की अवधि 01 अप्रैल से 31 मई तक होगी। इसके पश्चात नवीनीकरण कराने का प्रतिमाह रू0 5000.00 बिलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेग।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप जिसका मुल्य रू0 1000.00 होगा, नगर निगम ऋषिकेश कार्यालय से कय किये गये विगत वर्ष में किये गये कार्यो का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार निगम कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यो के विवरण पर नगर निगम के नगर आयुक्त स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	6,000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	3,000.00
द– चतुर्थ श्रेणी के लिए	2,000.00

(4) नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उनके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष के बाद नवीनतम हैसीयत प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत हो तो उसके लिए शपथ–पत्र देना होगा।

7– निर्माण सम्पादन की सीमा–

प्रत्येग श्रेणी के ठेकेदारों को नियमानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा।–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि) निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 50.00 लाख तक निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 25.00 लाख निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
(4) चतुर्थ श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 10.00 लाख निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8— निविदा प्रपत्र की लागत—

निविदा प्रपत्र का मुल्य समय—समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार देय होगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यो का ठेके लेने के लिए नगर निगम से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा, निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र निगम के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

8— निविदा स्वीकार करने का अधिकार—

ठेकेदारों द्वारा डाली गयी निविदाओं न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त/मेयर का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 06 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 06 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10— धरोहर धनराशि—

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेन्ट) नियम—2017 में किये गये प्राविधान एवं समय—समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अस्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास—पत्र एवं एफ0डी0आर के रूप में लेखाधिकारी के रूप में पदनाम बन्धक देनी होगी।

11— ठेकेदार का भुगतान—

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होंने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय—समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, जी0एस0टी0 एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 01 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक होंने पर पर किया जायेगा।

12— कार्य पूर्ण करने की अवधि—

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दिये गये कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतु ठेकेदार समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुये प्रार्थना—पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर नगर आयुक्त द्वारा कार्य अवधि बढाये जाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है, यदि ऐसी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 05 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप में कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू—राजस्व के बकाया की भॉति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13— पंजीकरण का निस्तरीकरण—

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवता के अनुसार स्वीकृत एस्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जॉच आख्या पर नगर आयुक्त द्वारा ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर, ऐसे ठेकेदार का काली सूची में डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त किया जायेगा। और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नगर निगम को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

14— जमानत जब्त करने के अधिकार—

यदि ठेकेदार नगर निगम उपनियमों या ठेके की शर्तो, अनुबन्ध—पत्र का उल्लंघन कर नगर निगम को कोई हानि पहुॅचाता है या उपविधि के नियम13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की जॉच आख्या पर नगर आयुक्त ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी निगम की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू—राजस्व के बकाये की भॉति वसूल की जायेगी।

दिनेश प्रसाद उनियाल,	**शैलेन्द्र सिंह नेगी,**	**शम्भू पासवान,**
अधिशासी अभियन्ता,	**नगर आयुक्त,**	**महापौर,**
नगर निगम ऋषिकेश।	**नगर निगम ऋषिकेश।**	**नगर निगम ऋषिकेश।**

पी0एस0यूं0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/168—भाग 8—2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।